<u>न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.</u>

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 396/2019 (150/2019)
GCMS NO. : 2019/00093

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. बगदाराम पुत्र अमराराम 2. बाबूलाल पुत्र अमराराम 3. सम्पतलाल पुत्र अमराराम जातियान–लौहार निवासीगण– झुझण्डा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

<u>तारीख रजू:.25/09/2019</u>

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता वादीगण।
2. तहसीलदार, जैतारण।

<u>–:: निर्णय ::–</u> **<u>दिनॉकः– 31/05/2022</u>**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक पुश्तेनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा झुझण्डा पटवार हल्का सांगावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 213 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 234 रकबा 43 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 235 रकबा 13 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 236 रकबा 75 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि आई हुई है जिसमें वादीगण अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त सम्पत्ति वादीगण के पिता अमराराम जी के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण में वादीगण के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी संख्या एक का नाम बगदा पुत्र अमरा व वादी संख्या दो का नाम बाबू पुत्र अमरा व वादी संख्या तीन का नाम पप्पूराम पुत्र अमरा के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी संख्या एक का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम बगदाराम पुत्र अमराराम है तथा वादी संख्या दो का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम बाबूलाल पुत्र अमराराम है व वादी संख्या तीन का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम सम्पतलाल पुत्र अमराराम जो वादीगण के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, आदि में भी वादी संख्या एक का नाम बगदाराम पुत्र अमराराम व वादी संख्या दो का नाम बाबूलाल पुत्र अमराराम व वादी संख्या तीन का नाम सम्पतलाल पुत्र अमराराम दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भागं माना जावे। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज [illegible] त्रुटि व रोंग एन्ट्री है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे चल रही है [illegible] रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 15/03/2019 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्ट्री को [illegible] से दुरुस्त करवाने का [illegible] किया जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:05 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

सम्बन्ध मे वादीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति मे उक्त रोंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादीगण का नाम जो राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड मे वादी संख्या एक अपना सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम बगदाराम पुत्र अमराराम व वादी संख्या दो अपना सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम बाबूलाल पुत्र अमराराम व वादी संख्या तीन का नाम सम्पतलाल पुत्र अमराराम से दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादीगण होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादीगण को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरकसरकारी योजनाओ से फायदा नहीं उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसान कार्ड बन रहा है जिस पर सहखातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरूस्त करवाने का कथन किया इसलिए सहखातेदारो के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है इसलिए प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिवादी 01 राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 15/03/2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम झुझण्डा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकाकर एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

इस पर वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी/ तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि सरहद मौजा झुझण्डा पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 213 रकबा 26–02 बीघा, खसरा नम्बर 234 रकबा 43–00 बीघा, खसरा नम्बर 235 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नम्बर 236 रकबा 75–10 बीघा में वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071–2074 में बाबू, बगदा, पप्पूराम पि0 अमरा वगैरह 1/5 कौम लवार में सहखातेदार दर्ज है। अमराराम की मृत्युपरान्त ना.सं. 261 दि0 31.05.1989 से बाबू, बगदा, पपीया पि0 अमरा दर्ज हुआ जिसके आधार पर जमाबन्दी संवत् 2043–2046 में अमल दरामद आया। राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज बाबू पुत्र अमरा, बगदा पुत्र अमरा, पप्पुराम पुत्र अमरा को दुरूस्त कर सही नाम बाबू को बाबूलाल, बगदा को बगदाराम एवं पप्पूराम को सम्पतलाल सिद्ध करना वादीगण का दायित्व है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका फर्द दि0 04.12.2019 के अनुसार बाबू को बाबूलाल, बगदा को बगदाराम एवं पप्पूराम को सम्पतलाल किया जाने की अनुशंसा की गई है। प्रार्थी सम्पतलाल की कक्षा 8 वीं की टी.सी. से सम्पतलाल नाम सिद्ध होता है जो वर्तमान जमाबन्दी में पप्पूराम पुत्र अमरा दर्ज है। दावे का बिन्दू संख्या 4 वादी से सम्बन्धि बिन्दू है। बिन्दू संख्या 5 वादी अ[illegible]ीकार्य है। बिन्दू संख्या 6 माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र का है। बिन्दू संख्या [illegible] न्यायालय से सम्बन्धित है। हल्का पटवारी के साथ मौका फर्द तैयार की गई [illegible] बाबू को स्थान पर बाबूलाल, बगदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

के स्थान पर बगदाराम एवं पप्पूराम को सम्पतलाल दर्ज किया जाना उचित है। ग्राम पंचायत सांगावास के सरपंच ने प्रमाणित किया कि सम्पतलाल को पप्पूराम के नाम से पुकारते है जिसका वास्तविक नाम सम्पतलाल है।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में वादी बगदाराम पुत्र अमराराम, बाबूलाल पुत्र अमराराम, सम्पतलाल पुत्र अमराराम का एवं अन्य गवाह गंगासिंह पुत्र दौलतसिंह, विनोद कुमार पुत्र नारायणलाल के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। बहस वकील उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादीगण पर गौर कर मनन किया। ग्राम झुझण्डा की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 (प्रदर्श–10) के खसरा नम्बर 213 रकबा 26–02 बीघा, खसरा नम्बर 234 रकबा 43–00 बीघा, खसरा नम्बर 235 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नम्बर 236 रकबा 75–10 बीघा में 'बाबू बगदा पप्पूराम पि. अमरा' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। नामान्तरकरण पंजिका की प्रति (प्रदर्श–19) में अंकित नामान्तकरण के नोट से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरान में ना.सं. 261 के द्वारा तत्कालीन खातेदार अमरा के फौत होने पर नारायण, बाबू, बगदा, पपीया पि0 अमरा का नाम दर्ज हुआ एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2043–2046, 2050–2053, 2051–2054, 2055–2058 में भी नारायण, बाबू, बगदा, पपीया पि0 अमरा नाम की प्रविष्टि दर्ज है तथा जमाबंदी संवत् 2071–2074 में नारायण, बाबू, बगदा, पप्पूराम पि0 अमरा की प्रविष्टि अंकित है।

2. वादीगण बगदाराम पुत्र अमराराम, बाबूलाल पुत्र अमराराम, सम्पतलाल पुत्र अमराराम के साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01, P/W 02, P/W 03 के अनुसार वादीगण का सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः बगदाराम पुत्र अमराराम, बाबूलाल पुत्र अमराराम, सम्पतलाल पुत्र अमराराम है ना कि बगदा, बाबू, पप्पूराम। वादीगण ने यह कथन किया कि वादी संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम बगदाराम पुत्र अमराराम है तथा वादी संख्या दो का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम बाबूलाल पुत्र अमराराम है व वादी संख्या तीन का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम सम्पतलाल पुत्र अमराराम है जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड आदि में भी यही दर्ज है। वादीगण ने वाद–पत्र में सशपथ यह कथन किये कि वादीगण के वास्तविक नाम क्रमशः बगदाराम पुत्र अमराराम, बाबूलाल पुत्र अमराराम, सम्पतलाल पुत्र अमराराम है जबकि राजस्व रेकर्ड में बगदा, बाबू व पप्पूराम उर्फ पपीया पि0 अमरा दर्ज होने से वादीगण अपने जमीन को उपजाउ व उपयोगी बनाने के लिए ऋण लेने में असमर्थ है। अन्य शहादत में गवाह गंगासिंह पुत्र दौलतसिंह, विनोद कुमार पुत्र नारायणलाल का साक्ष्य शपथ–पत्र क्रमशः P/W 04, P/W 05 प्रस्तुत किया। गवाह गंगासिंह ने अपने शपथ–पत्र P/W 04 में यह सशपथ कथन किये कि "मेरा और वादीगण का एक ही प[illegible] है तथा एक ही गांव के है इसलिए वादीगण को शुरू से जानता हूँ। वादीगण के पिता अमराराम के फौत होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Semwal
Date: 2022.10.06 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

फौतेदगी नामान्तरण में वादीगण के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी संख्या एक का नाम बगदा पुत्र अमरा व वादी संख्या दो का नाम बाबू पुत्र अमरा व वादी संख्या तीन का नाम पप्पूराम पुत्र अमरा के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी संख्या एक का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम बगदाराम पुत्र अमराराम है तथा वादी संख्या दो का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम बाबूलाल पुत्र अमराराम है व वादी संख्या तीन का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम सम्पतलाल पुत्र अमराराम है।'' गवाह विनोद कुमार ने अपने शपथ–पत्र P/W 05 में यह सशपथ कथन किये कि ''वादीगण मेरे सगे काकोसा लगते है। इसलिए एक ही परिवार के है। बादीगण के पिता अमराराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण में वादीगण के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी संख्या एक का नाम बगदा पुत्र अमरा व वादी संख्या दो का नाम बाबू पुत्र अमरा व वादी संख्या तीन का नाम पप्पूराम पुत्र अमरा के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी संख्या एक का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम बगदाराम पुत्र अमराराम है तथा वादी संख्या दो का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम बाबूलाल पुत्र अमराराम है व वादी संख्या तीन का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम सम्पतलाल पुत्र अमराराम है।''

3. प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–1ए (बगदाराम पहचान पत्र), प्रदर्श–2ए (बगदाराम राशन कार्ड), प्रदर्श–3ए (बगदाराम आधार कार्ड), प्रदर्श–4ए (बाबूलाल राशन कार्ड), प्रदर्श–6ए (सम्पत राशन कार्ड), प्रदर्श–5ए (बाबूलाल लोहार आधार कार्ड), प्रदर्श–7ए (सम्पतलाल गहलोत आधार कार्ड), प्रदर्श–9ए (सम्पतलाल लौहार टी.सी.) उक्त दस्तावेजो में वादीगण का नाम क्रमशः बगदाराम, बाबूलाल व सम्पतलाल है।

4. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि राजस्व सरहद मौजा झुझण्डा पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 213 रकबा 26–02 बीघा, खसरा नम्बर 234 रकबा 43–00 बीघा, खसरा नम्बर 235 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नम्बर 236 रकबा 75–10 बीघा में वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071–2074 में बाबू, बगदा, पप्पूराम पि0 अमरा वगैरह 1/5 कौम लवार में सहखातेदार दर्ज है। अमराराम की मृत्युपरान्त ना.सं. 261 दि0 31.05.1989 से बाबू, बगदा, पपीया पि0 अमरा दर्ज हुआ जिसके आधार पर जमाबन्दी संवत् 2043–2046 में अमल दरामद आया। पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका फर्द दि0 04.12.2019 के अनुसार बाबू को बाबूलाल, बगदा को बगदाराम एवं पप्पूराम को सम्पतलाल किया जाने की अनुशंसा की गई है। ग्राम पंचायत सांगावास के सरपंच ने प्रमाणित किया कि सम्पतलाल को पप्पूराम के नाम से पुकारते है जिसका वास्तविक नाम सम्पतलाल है। सम्पतलाल ने कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण की टी.सी. प्रस्तुत की जिससे भी सम्पतलाल नाम होना साबित है। तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा में यह अंकित किया गया कि पटवारी हल्का के साथ मौका फर्द तैयार करवाई जिसमें बाबू के स्थान पर बाबूलाल, बगदा के स्थान पर बगदाराम एवं पप्पूराम के स्थान पर सम्पतलाल दर्ज किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाब दावा एवं वादीगण के शपथ–पत्र एवं गवाह गंगासिंह पुत्र दौलतसिंह, विनोद कुमार पुत्र नारायणलाल का शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 213 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 234 रकबा 43 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 235 रकबा 13 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 236 रकबा 75 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल ग्राम झुझण्डा के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि बगदा पुत्र अमरा, बाबू पुत्र अमरा व पप्पूराम पुत्र अमरा के स्थान पर वादीगण का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः बगदाराम पुत्र अमराराम, बाबूलाल पुत्र अमराराम व सम्पतलाल पुत्र अमराराम है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ प्रविष्टि 'बगदा पुत्र अमरा, बाबू पुत्र अमरा, पप्पूराम पुत्र अमरा' दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर 'बगदाराम पुत्र अमराराम, बाबूलाल पुत्र अमराराम व सम्पतलाल पुत्र अमराराम' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा झुझण्डा पटवार हल्का सांगावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज (वर्तमान भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र –आगेवा) तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 213 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 234 रकबा 43 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 235 रकबा 13 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 236 रकबा 75 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल के **भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ** वादीगण के नाम ***बगदा पुत्र अमरा, बाबू पुत्र अमरा व पप्पूराम पुत्र अमरा*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टियाँ– ***'बगदा पुत्र अमरा'*** *के स्थान पर* ***'बगदाराम पुत्र अमराराम', 'बाबू पुत्र अमरा'*** *के स्थान पर* ***'बाबूलाल पुत्र अमराराम'*** *एवं* ***'पप्पूराम पुत्र अमरा'*** *के स्थान पर* ***'सम्पतलाल पुत्र अमराराम'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 31/05/2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज0)